सं0–/23–12–15–699वि0बैं0 / 14

प्रेषक,

मोहन बाबू गुप्ता
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ : दिनांक जुलाई, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट कंसल्टेन्ट की नियुक्ति कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0–1949बी0जी0 / 7बी0–विश्वबैंक / 14–15, दिनांक 29.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–1006 / 23–12–2014–699वि0बैंक / 14,दिनांक 08.08.2015 द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत कोर रोड नेटवर्क से चिहिन्त मार्गों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार कराये जाने एवं क्रियान्वयन व रख–रखाव के दौरान सुपरविजन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कंसल्टेन्ट (पी0एम0सी0) की नियुक्ति के लिये रू0 67.31 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 5.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी तथा शासनादेश सं0–419 / 23–12–2015– 699वि0बैंक / 14, दिनांक 21.03.2015 द्वारा रू0 2.50 करोड़ की द्वितीय किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 7.50 करोड़ की तृतीय किश्त स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न विवरण के कालम–8 में उल्लिखित धनराशि रू0 7.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

कम सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	31.3.15 तक व्यय	1.4.15 को अवशेष धनराशि	वर्ष 2015–16 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वि0बैं0 ख0–1, लखनऊ	विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन व रखरखाव के दौरान सुपरविजन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सेल्टेन्ट की नियुक्ति	सं0–1006 / 23–12–2014–699वि0बैं0 / 14, दि0 08.08.14 सं0–419 / 23–12–2015–699वि0बैंक / 14, दिनांक 21.03.2015	6731.00	750.00	5981.00	750.00

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 डिपाजिट खाते में आवंटित रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–2/2015/बी0–1–925/दस–2015–231/2015, दिनांक 30.03.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान सं0–58 के लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–05–अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों–337–सड़क निर्माण कार्य–97–वाहय सहायतित परियोजनायें–9701–विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु–24–वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाले जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–2/2015/बी0–1–925/दस–2015–231/2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या– (1)/23–12–2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
(5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8
(6) मुख्य अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(8) लोक निर्माण अनु0–10
(9) वेब मास्टर/वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(काशी प्रसाद तिवारी)
उप सचिव